

14/7/17

पञ्जाबली कोर कोम्प दरीला पर पेश।
ककत कोर कोम्प पटवारो हलवा से रेखाडि
जामवारी लेने से पर जाल दुआई वि
वादी से अपने हिस्से वा आमि विक्षप
कार दी गई है, और राजस्व रेखाडि से
दाखला लागू दिपा गया है

वादी द्वारा अपने हिस्से को आमि
वा ककत कार दिपा गया है वाद

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहक
हुकम
में

आगे चलने योग्य नहीं होने से बाद
शुक्रवार को अदालत आया है

निर्णय आज दिनांक 14.7.2017
को कोर्ट के सम्मुख करीब 10 पर सर आम
सुनाया गया।

एनापली केशव सुमाट होक्टर
नाम्बर से वाम है

सहायक क्लर्क
फास्ट ट्रेक, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:- श्रीमति रेणु मीना आर0ए0एस0

1. श्री जाना पिता देवा ^{उनवान} जाति लुहार निवासी कोटड़ी ^{पापों}
1. " रंजू देवा देवा लुहार ^{खाना} निवासी कोटड़ी
2. " सम्पत पिता जाना जाति लुहार — " —
3. " गशनु पिता — " —
4. " शफी देवा जाना — " —
5. " लहसीलवाट भीलवाडा
6. " ऑरि यंटल खैल ऑफ 100 शारवा पबंधल 0.80 1 टोसल
7. " उपपं जीपक, एव मुंडा लवा वि भाग भीलवाडा

दावा बाबत- 33-54 रंक 189 27. 100 अ

मुकदमा नम्बर :- 174/11

निर्णय दिनांक :- 14.7.17

वादी की ओर से की व प्रतिवादी की ओर से..... उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.7.17 को (नाम पीठासीन अधिकारी श्रीमती रेणु मीना) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-

वादी द्वारा अपने हिस्से की भूमि का खेदान कर दिया गया है वाद आगे चलने भोग्य नहीं होने से वाद श्वारीक किया जाता है

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 14.7.17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

2